बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2556 दिनांक–16.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, माँझी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–527 दिनांक–08.08.2019 द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सारण, छपरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष को समुचित ढंग से प्रस्तुत नहीं करने/यथोचित साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पुनः नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, श्री कुमार के विरूद्ध नये सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध नये सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0नि0(छपरा)–11/2026– 2155 /खाद्य,पटना/दिनांक– 07/05/2026

प्रतिलिपि– 1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–2556 दिनांक–16.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2556 दिनांक–16.04.2026 की प्रति के साथ) को निदेशित किया जाता है कि संचालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

5. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

6. श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, माँझी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

2020/Sec_8/Office Order.Doc